न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(91)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5669/2018/भोपाल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 26.07.2018 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 214/अपील/2017-18.

---

1. हमीर सिंह आ. श्री कृष्ण कुमार
2. जीतेन्द्र सिंह आ. श्री कृष्ण कुमार
3. धनकुंवर पत्नी श्री कृष्ण कुमार

निवासी ग्राम पुराछिन्दवाड़ा, तहसील

हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

बाबूलाल आ. बाला प्रसाद

निवासी ग्राम तारा सेवनिया,

तह. हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. .....अनावेदक

श्री एच.आर. पटेल, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर.एन. गौर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 26.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा तारा सेवनिया स्थित भूमि खसरा नंबर 89/1/2, 90/1/1, 90/2/2, 90/2 एवं 96/1/3 क्रमश: रकबा 0.279, 0.939, 1.214 एवं 0.202 हैक्टेयर कुल किता 4 जुमला रकबा 3.634 हैक्टेयर भूमि आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी के रूप में शासकीय अभिलेख में अभिलिखित हैं। आवेदकगण ने विचारण न्यायालय नायब

तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर स्वीकृत बंटान के आधार पर नक्शे में बंटान अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 11/अ-3/2015-16 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक/पटवारी से मौके की बंटान प्राप्त कर प्रश्नाधीन भूमि का बंटान स्वीकृत किये जाने का आदेश दिनांक 29.01.2016 पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 09.03.2018 से आदेश पारित कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 26.07.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक के स्वत्व की भूमि खसरा नं. 87/2/क - 89/2 रकबा 1.684 हैक्टेयर एवं 90/2/1 - 90/2 रकबा 0.729 हैक्टेयर की विधिवत बटान अंकित की गई। प्रकरण में अनावेदक को बटांकन की कार्यवाही के समय सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। उसकी सहमति स्वरूप नोटिस, फर्द एवं बटान पर हस्ताक्षर हैं। इसके उपरांत उसका यह कहना कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, पूरी तरह असत्य है।

(2) अनावेदक द्वारा इसी प्रकरण में स्वीकृत बटान के आधार पर अपने भूमिस्वामित्व की भूमि खसरा नं. 87/2/क - 89/2 रकबा 1.684 हैक्टेयर एवं 90/2/1 - 90/2 रकबा 0.729 हैक्टेयर का प्रकरण क्र. 165/अ-12/2015-16 आदेश दिनांक 30.06.2016 से सीमांकन कराया एवं उस आधार पर अनावेदक क्र. 4 बृजमोहन आ. रामफूल बगैराह के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में कब्जा वापसी का प्रकरण क्र. 02/अ-70/16-17 दर्ज किया, जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनावेदक के भूमिस्वामित्व की प्रश्नाधीन प्रकरण में स्वीकृत बटान उसे मान्य है।

(3) आवेदक अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अवधि बाधित अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपील न्यायालय ने अवधि में मान्य कर सुनवाई की गई अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण द्वारा तथ्यहीन आधारहीन अपील को इस आधार पर स्वीकार किया गया कि

विचारण न्यायालय में अनावेदक की आपत्ति का निराकरण नहीं किया और उसके हस्ताक्षर सूचना पत्र एवं फर्द बटान पर भिन्न-भिन्न होने का उल्लेख करते हुए संदेहास्पद मानते हुये विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है, जबकि विचारण न्यायालय के प्रकरण में अनावेदक द्वारा कोई लिखित आपत्ति पेश नहीं एवं हस्ताक्षर संदेहास्पद कैसे मान्य किये गये यह भी वैधानिक नहीं है। इस तरह अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत है।

(4) भू-राजस्व संहिता में संशोधन होने के पश्चात् यदि प्रथम अपील न्यायालय को ऐसा लगता है कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि की गई है, तो उसे संशोधन कर अंतिम आदेश पारित करें। केवल अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करना या प्रकरण पुन: जांच हेतु प्रत्यावर्तित करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। इस प्रकरण में ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे स्पष्ट हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने बटांकन प्रकरण क्र. 11/अ-3/15-16 आदेश दिनांक 23.01.2016 में कोई वैधानिक भूल की है, फिर भी अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर विधि की गंभीर भूल की है।

(5) अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय में की गई वैधानिक कार्यवाही की विवेचना वैधानिक तथ्यों के आधार पर नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में अनावेदक की ओर से कोई विधिवत आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। दिनांक 21.12.2015 के आदेश पत्रिका में अनावेदक की मौखिक आपत्ति के आधार पर राजस्व निरीक्षक को प्रथम से निर्देश दिये गये कि स्वयं स्थल पर पक्षकारों के साथ रकबा एवं कब्जे के आधार पर बटान तैयार करें। राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आदेश के पालन में संशोधन बंटान तैयार कराई गई, उसमें अनावेदक भी उपस्थित रहे और उनके द्वारा सहमत स्वरूप हस्ताक्षर किये गये, परंतु अधीनस्थ अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय की इस वैधानिक कार्यवाही को अनदेखा कर इस आधार पर अपील निरस्त की गई कि अनावेदक की आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया, जो पूरी तरह विधि विपरीत है।

(6) अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अनावेदक के हस्ताक्षर को इस आधार पर संदेहास्पद माना कि नोटिस पंचनामा पर हस्ताक्षर में भिन्नता है यह निष्कर्ष अधिकारिता विहीन होने से वैधानिक नहीं है। अधीनस्थ अपील न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई बंटान के आधार पर अनावेदक द्वारा अपनी

भूमि का स्वयं सीमांकन कराया और इसी आधार पर उसके द्वारा भी संहिता की धारा 250 के तहत कब्जा वापसी की कार्यवाही विचारण न्यायालय में की जा रही है। इस तरह अनावेदक विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत बंटान में अपने को प्राप्त हिस्से की भूमि पर स्वयं कार्यवाही कर रहे है और आवेदक की बंटान को गलत बताकर कार्यवाही की जा रही है। यदि बंटान का आदेश गलत है, तो उसके हिस्से का सही व आवेदक के हिस्से का गलत कैसे हो सकता है। इस तरह आधारहीन अपील को अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वैधानिक भूल की है।

(7) अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय ने अपने आदेश में इस बिंदु पर विश्लेषण किया है कि वर्ष 2011 में भू-राजस्व संहिता में सेशोधन के पश्चात् प्रत्येक अपील न्यायालय को अंतिम आदेश करना है, यदि विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रिया संबंधित कोई त्रुटि दर्शाते होती है, तो पुन: जांच कार्यवाही उपरांत सही बंटान अनावेदक के वास्तविक हस्ताक्षर के आधार पर प्रथम अपील न्यायालय द्वारा क्यों स्वीकृत नहीं की गई और द्वितीय अपील न्यायालय ने भी बंटान सही स्वीकृत हो, इस बावत् कोई संज्ञान नहीं लिया, यंत्रवत केवल अपील अस्वीकार की गई है, जो वैधानिक नहीं है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसील हुजूर से प्राप्त दस्तावेजों से ज्ञात हुआ है कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय में अनावेदक क्र. 1 लगायत 3 द्वारा अपने स्वत्व की कृषि भूमित खसरा क्र. 89/1/2, 90/1/1-90/2/2, 96/1/3 रकबा 3.634 हैक्टेयर का बटान कराने हेतु आवेदक क्र. 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था तथाकथित उक्त आवेदन पत्र में अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

(2) उक्त प्रस्तुत बटान आवेदन पत्र के आधार पर अनावेदक प्रमाणित अन्य कृषक बृजमोहन प्रताप आदि की अनुपस्थिति में रा.नि. हल्का पटवारी द्वारा फर्द बटान प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त फर्द बटान में दिनांक 17.01.2016 में अनावेदक के फर्जी हस्ताक्षर को फर्द बंटान की कोई सूचना तहसीलदार द्वारा नहीं दी गई, जबकि रा.नि. द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 17.01.2016 में अनावेदक बाबूलाल

नाम अंकित है और इस सूचना पत्र के पिछले पृष्ठ पर भी अनावेदक बाबूलाल के फर्जी हस्ताक्षर (द:बाबूलाल) लिखा गया है, जो अनावेदक द्वारा नहीं किये गये हैं, जबकि अनावेदक को इस बंटान प्रकरण की जानकारी ही नहीं थी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत संपूर्ण प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा पालन नहीं किया गया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक की अनुपस्थिति में (पड़ोसी काश्तकार) की भूमि भी प्रस्ताव बंटान में प्रमाणित हुई और पड़ोसी काश्तकार होने से सुनवाई का पूर्ण अवसर उनको भी दिया गया, जबकि अनावेदक की स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि से लगी होने के कारण सुना जाना आवश्यक था, जो नहीं सुना गया तथा आदेश पारित कर दिया गया जो संहिता में बने नियमों के विपरीत होने से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2016 हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है, जो अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा अपने आदेशों में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया।

(4) अनावेदक द्वारा स्वयं की भूमि स्थित ग्राम तारा सेवनिया खसरा क्र. 87/2/क, 89/2, 90/2/1-90/2 रकबा 1.684 हैक्टेयर का सीमांकन दिनांक 14.06.2016 को राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी द्वारा कराया था, तब ज्ञात हुआ कि मेरे स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि का अंश भाग पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, तब ज्ञात हुआ कि मेरी कृषि भूमि खसरा नं. 90/2/1-90/2 का नक्शा में त्रुटि हुई है, जो हमीर सिंह द्वारा बटांकन के समय कराई गई है।

(5) अनावेदक द्वारा अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित आदेश दिनांक 23.01.2016 की जानकारी प्राप्त हुई कि अनावेदक क्र. 1 लगातय 3 द्वारा अपनी भूमि का उक्त बटांकन कराया गया, तब अनावेदक बाबूलाल द्वारा दिनांक 03.09.2016 को तहसील कार्यालय जाकर उक्त बंटान प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 06.09.2016 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

(6) अनावेदक की दूसरी प्रश्नाधीन कृषि भूमि खसरा क्र. 87/2/क-89/2 के अक्श की आकृति विकृत कर दी गई तथा जिससे मेरी भूमि के दोनों खसरे 87/2/क-89/2 एवं 90/2/1-90/2 दोनों के अक्श में त्रुटि कर खुर्द बुर्द कर दी गई, जिससे अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि से दूसरी प्रश्नाधीन भूमि (खसरा नं. 87/2/क-89/2) में से 90/2/1-90/2 में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे अनावेदक काफी दुखी एवं परेशान हो रहा है,

जिसे पूर्व अनुसार की स्थिति अनुसार किया जाना आवश्यक हो गया है अन्यथा अनावेदक क्र. 1 मेरी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का हड़प लिया जावेगा।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से फर्द बंटान ली गई, जिस पर आपत्ति प्राप्त हुई, परंतु विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि किसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई और न ही आपत्ति का विधिवत निराकरण किया गया। अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक को जारी सूचना पत्र एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटान पर आवेदक के हस्ताक्षर एक समान नहीं हैं। प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मात्र आवेदक हमीरसिंह को ही सुना जाकर आदेश पारित करते हुए अनावेदक को उसके हितों से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा मात्र राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त द्वारा भी की गई है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर